

**बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग**

---कार्यालय आदेश:--

का०आ०सं०-01 / स्था०राज०336 / 2025-

पटना, दिनांक

सितम्बर, 2025

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-3(3)(ख) के तहत गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक-26.08.2025 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त जन सेवकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित कार्यालय में संविदा के आधार पर जनसेवक के पद पर नियोजित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कोटि क्रमांक	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	नियोजन का विभाग / कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राजकपुर रजक पिता-स्व० जगदीश रजक, पता-ग्राम-हनुमान नगर, पोस्ट+थाना-रामपुर, जिला-गया, बिहार, 823001.	जनसेवक	अनुसूचित जाति	01.11.1964	31.10.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान।
2	श्री सीताराम पाण्डेय, पिता- चन्द्रश्वर पाण्डेय पता-ग्राम-खरजमा, पोस्ट-वारखुर्ज प्रखण्ड-नुरसराय, जिला-नालंदा, बिहार, 803113.	पंचायत सचिव	गैर आरक्षित	01.06.1964	31.05.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी।
3	मो० सैयद मुख्तार आलम, पिता-सैयद बसीरुल हसन, पता-मोहम्मद अमिर खुसरो नगर, मीठनपुरा, वार्ड संख्या-49, पोस्ट-रमणा, जिला-मुजफ्फरपुर, , बिहार, 842002	पंचायत सचिव	गैर आरक्षित	10.01.1963	31.01.2023	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर।
4	श्री उमेश सिंह, पिता-मनैजर सिंह, पता-ग्राम-दुबौलिया, वार्ड संख्या-17, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण, बिहार, 845433	पंचायत सचिव	गैर आरक्षित	11.01.1964	31.01.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।
5	श्री राम नारायण प्रसाद, पिता-श्री प्रसाद साह, पता-ग्राम-समनपुर टोला, पोस्ट+थाना-कुन्दवा, चैनपुर, पूर्वी चम्पारण बिहार, 845304.	पंचायत सचिव	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	12.07.1964	31.07.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।
6	श्री ब्रजदेव प्रसाद, पिता-श्री देव नारायण प्रसाद, पता-ग्राम-सोंधू दुलाहपोस्ट-सोंधू, जिला-वैशाली, बिहार, 844134	जनसेवक	पिछड़ा वर्ग	08.08.1963	31.08.1963	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।
7	श्री अरुण कुमार पटेल, पिता-राम प्रित पटेल, पता- ग्राम+पोस्ट- कन्हौली, थाना-महुस, जिला-वैशाली, बिहार, 844114	पंचायत सचिव	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	05.05.1963	31.05.2023	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।
8	श्री नंद किशोर शर्मा पिता- अमरेन्द्र शर्मा, पता- ग्राम+पोस्ट-बलुआ वार्ड सं०-03, थाना-पहारपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार, 845422	पंचायत सचिव	गैर आरक्षित	02.01.1965	31.01.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।

Hall

An
02/09/2025

9	श्री ललित कुमार चौधरी, पिता-बालकिशोर चौधरी, पता-शहिद भगत सिंह कॉलोनी मुस्ताफाबाद एल० आई० सी० 158 नियर डॉ मंजु माला, गया जिला-गया, बिहार, 823001.	पंचायत सचिव	अनुसूचित जाति	20.10.1963	31.10.2023	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।
10	श्री त्रिलोकी सिंह, पिता-रामचन्द्र सिंह, पता-ग्राम-राय करारिया पोस्ट-करारिया वार्ड, थाना-पहारपुर, पूर्वी चम्पारण, बिहार, 845422	पंचायत सचिव	गैर आरक्षित	21.04.1963	30.04.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।
11	श्री मदन बैठा, पिता- स्व० ज्ञानचन्द्र बैठा, पता-ग्राम-मिश्रग्राम बरियरिया, थाना-संग्रामपुर, पोस्ट-पुछरिया, पूर्वी चम्पारण, बिहार, 845434.	पंचायत सचिव	अनुसूचित जाति	28.06.1965	30.06.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।
12	श्री सुरेश रजक, पिता-सोगारथ रजक, पता-ग्राम-पटेडा खास सैदपुर, पोस्ट-सराय, जिला-वैशाली, बिहार, 844125	पंचायत सचिव	अनुसूचित जाति	03.03.1962	31.03.1922	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।
13	श्री विनोद कुमार गुप्ता, पिता-रामेश्वर साह, पता-ग्राम+पोस्ट-नवानगर, थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली, 844503	पंचायत सचिव	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	25.01.1963	31.01.2023	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान।
14	श्री उपेन्द्र सिंह, पिता-राम भजन सिंह, पता- ग्राम+पोस्ट -मधुवनी, थाना-चिरया पूर्वी चम्पारण, बिहार, 845418.	पंचायत सचिव	पिछड़ा वर्ग	18.03.2063	31.03.2023	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।
15	श्री रामनाथ सिंह, पिता-रामकलश सिंह, पता-ग्राम-मक्कानपुर पोस्ट-जन्दाहा, थाना-महनार, जिला-वैशाली, बिहार, 844505.	पंचायत सचिव	पिछड़ा वर्ग	10.05.1964	31.05.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर।
16	श्री अनिल कुमार ठाकुर, पिता-कृष्ण जीवन ठाकुर, पता- ग्राम+पोस्ट -इस्लामपुर, थाना-हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली, बिहार, 844103	पंचायत सचिव	गैर आरक्षित	26.02.1962	28.02.2022	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।
17	श्री राजेन्द्र साव, पिता-स्व० पच्चु साव, पता-ग्राम-महुएत, पोस्ट-घरेया, थाना-वजीरगंज, जिला-गया, बिहार, 805131	जनसेवक	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	26.01.1964	31.01.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।
18	श्री विनोद कुमार सिंह, पिता- जय नारायण सिंह, पता-ग्राम-कोलहुवा, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार-843101	पंचायत सचिव	गैर आरक्षित	06.08.1961	31.08.2021	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी।
19	श्री साकेत बिहारी सिंह, पिता-अम्बिका सिंह, पता-ग्राम-अजगरी, पोस्ट-अजगरवा, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार, 845428	पंचायत सचिव	गैर आरक्षित	04.01.1964	31.01.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।

20	श्री विजय कुमार यादव, पिता—महाबीर यादव, पता—ग्राम—तारौची, पोस्ट—तीनेरी, थाना—गुरारू, जिला—गया, बिहार, 824118	पंचायत सचिव	पिछड़ा वर्ग	04.05.1961	31.05.2021	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।
21	श्री अजीत कुमार अम्बष्ट, पिता—स्व० बैनी माधव प्रसाद, पता—ग्राम—विशनपुर, पोस्ट—जम्मुआरा, थाना—बाकें बाजार, जिला—गया, बिहार, 824217	जनसेवक	गैर आरक्षित	31.01.1962	31.01.2022	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।

2. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(2)(क)(v) तथा 3(2)(ख)(v) के तहत प्रावधानित अवधि के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए किया जाता है। प्रस्तुत मामलों में अधिकतम निर्धारित उम्र तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनका सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा और कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा -विस्तार सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत संकल्प ज्ञापांक-3978 दिनांक-23.03.2018 की कंडिका-5 के आलोक में विभाग स्तरीय चयन समिति की सहमति से संकल्प के तहत निर्धारित उम्र तक किया जा सकेगा।

3. संविदा नियोजित कर्मियों के संबंध में किसी प्रकार के आरोप/दण्ड की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

4. संविदा नियोजित कर्मियों को देय मासिक मानदेय का निर्धारण संकल्प की कंडिका-(3)(6)(i) तथा (3)(7)(iii) के आलोक में किया जायेगा तथा अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण संकल्प के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

5. कार्यालयादेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनका नियोजन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

6. संविदा नियोजन आदेश के आलोक में संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा पद पर योगदान करने की तिथि से संविदा नियोजन एक वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा।

7. संकल्प की कंडिका-3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका-3(6)(iv) के तहत सेवा निवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संविदा अवधि में स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा। उपर्युक्त जनसेवक को उनके योगदान की तिथि से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

8. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(7)(iii) एवं परिपत्र संख्या-8710 दिनांक-11.08.2021 सह-पठित परिपत्र संख्या-13522

दिनांक-17.11.2021 के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा नियोजित कर्मों के मानदेय का निर्धारण किया जायेगा।

9. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कडिका-3(6)(ii) के अंतर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

10. इन संविदा नियोजित जनसेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

11. इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

12. इन संविदा नियोजित कर्मियों को कोई वित्तीय दायित्व नहीं सौंपा जायेगा। वित्तीय शक्ति दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-11899 दिनांक-06.10.2021 का अनुपालन प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. श्री फूल कुमार, पिता- स्व० वंशलाल राय को पूर्व में कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1330 दिनांक-05.08.2025 के क्रमांक-5 के द्वारा सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर के कार्यालय में किये गये नियोजन का विभाग/कार्यालय में संशोधन कर श्री फूल कुमार, सेवानिवृत्त जनसेवक, पिछड़ा वर्ग, जन्मतिथि-02.05.1965 को सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में नियोजित किया जाता है। कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1330 दिनांक-05.08.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-
(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या- 01/स्था०राज-336/2025- पटना, दिनांक सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-16023 दिनांक-27.08.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या- 01/स्था०राज-336/2025- 1381 पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2025
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुटंकक/सभी संबंधित पदाधिकारी/बजट शाखा/सभी संबंधित कार्यालय/सभी संबंधित कर्मों, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
(अरुण कुमार)
अवर सचिव।